



उत्तरांचल विधान सभा

उत्तरांचल विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार 12 बैशाख, शक संवत्, 1923

(दिनांक : 2 मई, 2001)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

- 1- अल्प सूचित प्रश्न (देखिये नत्थी (क))
- 2- अन्य प्रश्न (देखिये नत्थी (ख))
- 3- सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों ।
- 4- ~~कार्य विधान सभा प्रस्ताव यदि कोई हो ।~~
5. विचार वर्ष 2001-2002 के आय-व्यय का प्रस्तुतकरण (12-20 वर्षे मध्यम)
6. वित्तीय वर्ष 2001-2002 के एक भाग के लिए
1. भरणानुदान का प्रस्तुतीकरण। एवं ~~सदस्यों की विधायक विधायक~~
~~सं विचार एवं पारण~~

विच मंत्री प्रस्ताव करेंगे

कि उत्तरांचल विधायक
(लेखानुदान) विधायक
2001 के लिए विधायक
की

विच मंत्री उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा
39 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा
प्राधिकृत धनराशि रुपये 2192 08 00 0000 (रुपये 2 करोड़
आठ लाख मात्र) विधान सभा में मंजूरी
देने प्रस्ताव करेंगे ।

12 बड़ी केदार की यात्रा पर जा रही वरा के पुष्करागस्त हो जाने
के फलस्वरूप दिवंगत यात्रियों के प्रति शोक प्रस्ताव

13 उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य रह चुके उत्तरांचल निवासी
श्री गोविन्द सिंह बिष्ट तथा श्री पूरन चन्द आर्य के प्रति शोक प्रस्ताव

14 ⁻⁵¹ नियम के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों ।

देहादुन
दिनांक 3 मई, 2001

(महेन्द्र चन्द)
सचिव

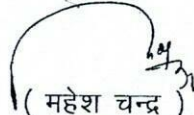
- 8- सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17, जनवरी, 2001 को संशोधन सहित पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 जनवरी, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का पहला अधिनियम बन गया।
- 9- सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि उत्तरांचल आकस्मिकता निधि विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17, जनवरी, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 जनवरी, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का दूसरा अधिनियम बन गया।
- 10- सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (उत्तरांचल संशोधन) विधेयक, 2001 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 17, जनवरी, 2001 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 18 जनवरी, 2001 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का तीसरा अधिनियम बन गया।
- 11- वित्त मंत्री, उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगेंगे।
- 12- वित्त मंत्री, उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2001 को पुरःस्थापित करेंगे।
- 13- कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।
- 14- विशेषाधिकार के प्रश्न, यदि कोई हों।
- 15- मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।
- 16- वित्त मंत्री, यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2001 पर विचार किया जाये।
- 17- वित्त मंत्री, यह प्रस्ताव करेंगे कि उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2001 पारित किया जाये।
- 18- नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

- 19- श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-
"इस सदन का निश्चित मत है कि राज्य के वनों में अग्निकांड, अवैध कटान तथा वन्य जीवों की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वन विभाग के अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में " वन सुरक्षा समिति" का गठन अनिवार्य कर दिया जाये।"

- 20- श्री अम्बरीष कुमार, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :-
"इस सदन का निश्चित मत है कि संविधान में दिये गये नीति निर्देशक तत्वों जो संविधान की आत्मा है, के प्राविधानों का पालन करते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत "शिक्षा बंधु" एवं "शिक्षा मित्र" पर लागू किया जाये।"

देहरादून,
दिनांक : 2 मई 2001

आज्ञा से,


(महेश चन्द्र)
सचिव

प्रश्न संख्या

सरकार को भेजने

की तिथि

26-4-2001

द्वितीय सत्र 2001 का
पहला बुध



नत्थी १ क

xx 1

xx 2

28-4-2001

उत्तरांचल विधान सभा

बुधवार, 12 बैशाख, शक संवत् 1923

१२मई, 2001 ई०

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

डा० इन्दिरा हृदयेश

xx

18-4-2001

1- क्या मुख्यमंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल में खादी बोर्ड का गठन न किए जाने से ग्रामीण लघु उद्योग उद्योगों को केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली मार्जिन मनी सबसीडी नहीं प्राप्त हो रही है? क्या यह भी सही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खादी बोर्ड के माध्यम से लघु उद्योगों की स्थापना करने वाले उद्यमियों को निराश होना पड़ रहा है? यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्य योजना बनाई है?

श्री अम्बरीष कुमार

xx

18-4-2001

2- क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वी० आई० एफ० आर० के निर्णय के अनुपालन में केन्द्र सरकार से आई० डी० पी० एल० वीरभद्र, ऋषिकेश कारखाने को उद्योग खरीद कर स्वयं संचालित करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो क्या आवश्यक धनराशि जुटाने हेतु बॉन्ड जारी करने की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह
19-2-2001

- * 1— क्या वन मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में कृषकों की फसलों को जंगली हाथियों व अन्य जानवरों द्वारा किये गये नुकसान का पूर्ण मुआवजा सरकार कृषकों को देने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो किस दर से तथा कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री मुन्ना सिंह चौहान
19-2-2001

* 2

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त)

श्रीमती इन्दिरा इदयेश
22-2-2001

- * 3— क्या मुख्य मंत्री जानकारी देने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा केन्द्रीय व्यापार कर की आय का हिस्सा उत्तरांचल प्रदेश को दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो यह निर्णय कब तक हो जायेगा

वित्त

श्री रघुनाथ सिंह चौहान
22-2-2001

- * 4— क्या वन मंत्री की जानकारी में है कि वन विभाग द्वारा विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से जनपद अल्मोड़ा के किस-किस वन पंचायत में संयुक्त वन प्रबंधन योजना लागू की जा चुकी है अथवा लागू करने की कार्यवाही चल रही है ? क्या यह सही है कि इस योजना से वन पंचायतों के अधिकारों का हनन हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना को इस प्रकार संशोधित करेगी कि वन पंचायतों के अधिकार सुरक्षित रहे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री लाखी राम जोशी
27-2-2001

- * 5— क्या वन मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के कारण उत्तरांचल में कौन-कौन से स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण अवरुद्ध है ? क्या सरकार वन संरक्षण अधिनियम में केन्द्र सरकार से संशोधन कराकर विकास कार्यों में आ रहे अवरोधों को दूर करेगी ? तथा लम्बित मोटर मार्गों का वन अधिनियम से कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री राम सिंह सैनी
1-3-2001

- * 6— क्या मुख्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य हित में राज्य की सीमा के विस्तार के लिए कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व

श्री अम्बरीष कुमार
2-3-2001

- * 7— क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तरांचल के व्यापारियों को दोहरे करों की मार से बचाने के लिए शून्य कर प्रणाली लागू करने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब से यहा प्रणाली लागू होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त

श्री ज्ञान चन्द
2-3-2001

- * 8— क्या वन मंत्री कृपा बतायेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक हुई प्रगति की सूचना सरकार को है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

हरवंश कपूर
15-3-2001

- * 9- क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल को प्लास्टिक पोलिथिन ढींग के डिब्बे इत्यादि के प्रदूषण से मुक्त कराने हेतु कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
15-3-2001

- * 10- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान में उत्तरांचल राज्य में जिलेवार कुल कितने वन पंचायत हैं ? राज्य में कुल गिलाकर वनपंचायत क्षेत्र के पास कितने हैक्टियर भूमि आच्छादित है ? क्या सरकार यह भी समझ करेगी कि ग्रामीण जनता में वनीकरण कार्य में रुचि व पर्यावरण के लिए जागरूकता लाये जाने हेतु वन पंचायतों को वृक्षारोपण हेतु प्रति वर्ष धन आवंटित करने पर विचार करेगी ? क्या उक्त कार्यक्रम में तेजी लाये जाने हेतु वन पंचायत नीति की घोषणा की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री इशम सिंह
22-3-2001

11- क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल राज्य का गठन होने के पश्चात उत्तरांचल राज्य में व्यापार कर नीति निर्धारित न होने के कारण छोटा व्यापारी वर्ग के समक्ष काफी कठिनाइयाँ आ रही है ? यदि हां, तो शासन, कोई व्यापार कर निर्धारण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

वित्त

-: अतारंकित प्रश्न :-

श्री विष्णु सिंह कुमाल
22-2-2001

- 1- क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि धारभूला गुनसराही डी.डी.हाट तहसीलों की विषम भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरकार डी.डी.हाट जिला बनाने के बारे में विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

राजस्व

श्री राजेश्वर सिंह
22-2-2001

- 2- क्या वन मंत्री कृपा बतायेंगे कि टिहरी जनपद में वर्ष 2000-2001 में कितने खनन पट्टे निष्पादित किये गये ? उक्त जनपद में ही बादल नदी व नलू खाला का खनन पट्टा किस-किस के नाम निष्पादित किया गया ? क्या उक्त खनन पट्टे शासन की नीति के अनुसार जारी किये गये ? यदि नहीं तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री राजेश्वर सिंह
24-2-2001

- 3- क्या वन मंत्री कृपा बतायेंगे कि देहरादून जनपद में जंगली हाथियाँ द्वारा वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में कृषकों की फसलों का कितना नुकसान किया गया अभिलेखों में दर्ज है ? क्या हाथियों द्वारा किये गये कृषकों के नुकसान की क्षतिपूर्ति कर दी गयी है ? यदि हां, तो कितना कितना दर से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
12-3-2001

- 4- क्या सरकार को ज्ञात है कि हिमालय से निकलने वाली काली नदी जो टनकपुर से शारदा कहलाती है, में पाई जाने वाली महासीर प्रजाति की मछली विलुप्त के कगार पर है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त प्रजाति की मछली के अस्तित्व को बचाने हेतु पंतनगर विश्वविद्यालय ने एक बहुददेशीय परियोजना शुरू की है ? क्या उक्त परियोजना के कार्य रूप में आने पर जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, उधमसिंह नगर के कृषकों व शिक्षित बेरोज़गारों को हैचरी में मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

मत्स्य

श्री लाखीराम जोशी
28-2-2001

- 5- क्या वन मंत्री कृपा बतायेंगे कि उत्तरांचल में समस्त वन प्रभागों में विभिन्न नर्सरियों एवं वनीकरण किए गये प्लांटों में कुल कितने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी चौकीदार तैनात हैं ? क्या सरकार इन्हें नियमित कर्मचारी घोषित करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन

राजेन्द्र सिंह
-3-2001

6- क्या मुख्य मंत्री कृपा बतायेंगे कि हरिद्वार-मुरादाबाद मार्ग पर गंगा नदी के चण्डी घाट पुल की वर्ष 2000-2001 की अधिकतम बोली कितनी थी ? अधिकतम बोली के बाद भी क्या विभाग द्वारा स्वयं टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उच्चतम बोली से अधिक राजस्व विभाग को मिला है ? यदि हां तो कितना ? यदि नहीं तो उच्चतम बोली/ढेका के विरुद्ध हुए नुकसान को कैसे पूर्ण किया जायेगा ? यदि बोली से कम राजस्व विभाग द्वारा वसूली हुई है तो क्या वर्ष 2000-2001 के लिए उच्चतम बोली के आधार पर उक्त पुल के टोल टैक्स का ठेका कराया जायेगा ?

राजस्व पहले सोम के अतारंकि प्र. सं. 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

श्री राजेन्द्र सिंह
16-3-2001

7- क्या वन मंत्री कृपा बतायेंगे कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के बाद जिला अधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश के लिये विकल्प चयन किया है उन्हें उत्तरांचल राज्य से कार्य मुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं तो, उत्तर प्रदेश विकल्प वाले कितने-कितने अधिकारी कार्यरत हैं ? तथा उन्हें शीघ्र कार्य मुक्त कर उत्तर प्रदेश कब तक भेजा जायेगा ?

वन

श्री भारत सिंह रावत
19-3-2001

8- क्या वन मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती रोशनी देवी पत्नी श्री सतीश चन्द्र द्विवेदी। ग्राम जोंक तहसील-कोटद्वार जिला पौड़ी गढ़वाल को जंगली बाघ गोलदार। द्वारा दिनांक 21 नवम्बर, 2000 को ग्राम जोंक के निकट हमला करके घायल किया गया था और उक्त घायल महिला दिनांक 21 नवम्बर 2000 से 21 दिसम्बर, 2000 तक राजकीय संयुक्त चिकित्सालय, ऋषिकेश में उपचार के लिए भर्ती रही ? यदि हां, तो क्या वन विभाग द्वारा पीडित महिला को नियमानुसार मुआवजा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मुआवजा कब तक दिया जायेगा ?

वन

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा
20-3-2001

9- क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य में 31 दिसम्बर '2000 तक कुल कितने विश्व युद्ध द्वितीय। के सैनिक थे जिनको रुपये 250 प्रति माह पेंशन दी जा रही है ? क्या सरकार बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की भांति वित्तीय वर्ष 2001-2002 में पेंशन 500 रु० प्रति माह किये जाने पर प्रस्ताव करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त दूसरे शुक्र के अतारंकि प्र. सं. 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

श्री अम्बरीष कुमार
26-3-2001

10- क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 8-11-2000 से 28-2-2001 तक मा० मुख्यमंत्रीजी, मा० मंत्रीगणों के देहरादून नगर से बाहर हुए दौरे पर हेलिकॉप्टर के किराए के रूप में कितना व्यय हुआ ? पेट्रोल पर कितना व्यय हुआ तथा जेबखर्च के रूप में कितनी धनराशि बनी ?

वित्त दूसरे शुक्र के अतारंकि प्र. सं. 46 के अन्तर्गत स्थानान्तरित

श्री अम्बरीष कुमार
27-3-2001

11- क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवपुरा। हरिद्वार। ब्लॉक स्थित आरक्षित वन भूमि 24 बीघा 18 बिस्वा पुख्ता। 5. 103 हैक्टेयर। भूमि जिसका बाजार मूल्य लगभग 5 करोड़ बताया जाता है, के संबंध में सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी, हरिद्वार के न्यायालय में बाद संख्या 86/2000। मूलवाद सं० 200/71। तथा 30/89। मूलवाद 199/71। विचाराधीन है ? यदि हां ? तो क्या 4/12/2000 को दाखिल 19-11-2000 को लिखित प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग श्री एस०पी० गोयल द्वारा दाखिल पत्र। जो सहायक कलैक्टर के न्यायालय में दाखिल हुए। एक दूसरे के विपरीत है ? यदि हां तो क्या संपूर्ण प्रकरण की जांच करायी गयी ? यदि हां, तो अब विभाग का दृष्टिकोण क्या है ? कौन दोषी पाये गये ? यदि नहीं तो क्यों ?

वन

श्री इशम सिंह
12-3-2001

12- क्या वन मंत्री के संज्ञान में है कि वन भूमि पर अतिक्रमण के नियमतीकरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-7262 दिनांक 1-11-1975 द्वारा यह प्राविधान था कि अजगट/अजगट/भूमिहीनों/खेती-हर मजदूरों को दिनांक 8-11-73 तक का तथा अन्य लोगों का 30-6-66 तक का अतिक्रमण नियमित किया जाय? यदि हाँ, तो तहसील रामनगर {नैनीताल} के अन्तर्गत भूमि में गाँव शिवनाथपुर, पटरानी, कुमगडार, पापडी कालूसमैद, सुन्दरखाल, आमडंड, बिन्दुरक्ता, चौपडा, लैटी, रामपुर आदि का अतिक्रमण नियमितीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं? अतिक्रमण नियमितीकरण की कार्यवाही कब तक पूर्ण कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री इशम सिंह
23-3-2001

13- क्या राजस्व मंत्री के संज्ञान में है कि गाँव गडीनेगी तहसील काशीपुर, जिला वर्तमान {उधम सिंह नगर} में 136 पट्टे वर्ष 1988 में उप जिलाधिकारी-काशीपुर तहसील द्वारा स्वीकृत कर जारी किये गये थे? यदि हाँ, तो पट्टे धारकों को अभी तक कब्जे क्यों नहीं दिए गये और उक्त लाभार्थियों को कब्जा दिलाने की कार्यवाही कब तक पूर्ण करा दी जायेगी?

श्री राम सिंह सैनी
28-3-2001

14- क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य गठन के उपरान्त भगवानपुर जनपद हरिद्वार में स्थापित व्यापार कर चौकी पर अवैध उगाही की कोई शिकायत शासन के संज्ञान में आई है? यदि हाँ, तो उस अवैध उगाही में लिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?



(नत्की-ग)

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 1.5.2001 की बैठक में दिनांक 2 मई, 2001 से 4 मई, 2001 तक की बैठक हेतु निम्नलिखित सिफारिश की हैं :-

मई, 2001

02 बुधवार

॥१॥ औपचारिक कार्य ॥आधा दिन॥

॥२॥ विधायी कार्य :-

॥क॥ उत्तर प्रदेश बन निगम अधिनियम

॥ उत्तरांचल संशोधन ॥ अध्यादेश, 2001

को सदन के पटल पर रखा जाना,

॥ख॥ संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम

॥ उत्तरांचल संशोधन ॥ अध्यादेश, 2001

को सदन के पटल पर रखा जाना

॥ग॥ उत्तरांचल आकस्मिकता निधि

अधिनियम ॥संशोधन॥ अध्यादेश, 2001

को सदन के पटल पर रखा जाना,

॥घ॥ उत्तरांचल आकस्मिकता निधि

अधिनियम ॥संशोधन॥ विधेयक, 2001 पर

विचार एवं उसका पारण ।

॥३॥ नियम 103 के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव

॥क॥ श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-" इस सदन का

निश्चित मत है कि राज्य के वनों में

अग्निपाण्ड, अवैध कटान तथा वन्य जीवों

की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वन

विभाग के अधिकारियों को सहयोग प्रदान

करने के लिए प्रत्येक ग्राम सभा में "वन

सुरक्षा समिति" का गठन अनिवार्य कर

दिया जाये ।"

॥ख॥ श्री अम्बरीष कुमार-" इस सदन का

निश्चित मत है कि संविधान में दिये गये

नीति निर्देशक तत्वों जो संविधान की

प्राप्ति है कि शांतिमानों का

पालन करते हुये समाज कार्य

के लिये समाज बेतन था

सिद्धान्त शिक्षा बंधु एवं शिक्षामित्र पर लागू
किया जाये ।"

03 गुरुवार

§क§ वित्तीय वर्ष 2001-2002 का आय-व्ययक
प्रस्तुत किया जाना §दिन 12.20 बजे §

§ख§ लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण एवम् तत्संबंधी
विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण

§ग§ उत्तरांचलराज्य के लिए 9.11.2000 से दिनांक
31.3.2001 तक की अवधि हेतु उत्तर प्रदेश के श्री
राज्यपाल द्वारा प्राधिकृत व्यय की मंजूरी ।

04 शुक्रवार

असरकारी दिवस §आधा दिन§ असरकारी संकल्प §
विधायी कार्य- §आधा दिन§

§2§ उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम §उत्तरांचल
संशोधन§ विधेयक, 2001 पर विचार एवं उसका
पारण ।

§3§ संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम §उत्तरांचल
संशोधन§ विधेयक, 2001 पर विचार एवं उसका
पारण ।